सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा. संख्या:- सीएस/सीओएनटी(8)(1)/2018 दिनांक: 12.09.2019

वर्ष 2019 नौमनि आदेश संख्या- 04

विषय :- वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, जलयानों द्वारा पशुओं **कि दुलाई-संबंधी**

जबकि यथा संशोधित, वाणिज्य पोत परिवहन, 1958 का उददेश्य है कि नौवहन का निरंतर विकास किया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि भारतीय समुद्री व्यापार सुरक्षाप्रद और कुशलता पूर्ण हो तथा यह राष्ट्रीय हितों के सर्वथा अनुरूप हो ।

2. जबकि नौवहन महानिदेशालय, पोत परिवहन मंत्रालय भारत सरकार यथा संशोधित, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 को लागू करने के लिए देश में समुद्री प्रशासन के रूप में पदनामित है तथा सुविधा प्रदाता के रूप में और भारत में वाणिज्य पोत परिवहन के विनामक के रूप में कार्यरत है ।

3. जबकि विभिन्न श्रेणियों के जलयानों में कार्गो के रूप में पशुओं को ले जाया जा सकता है ।

4. जबकि जिन जलयानों का प्रयोग पशुओं को ले जाने के लिए किया जाता है उनके लिए आवश्यक है कि वें निश्चित मानकों का पालन करें ताकि इन्हें उचित रीति से समुद्र मार्ग से ले जाया जाए साथ ही थे जलयान सुरक्षाप्रद परिवहन हेतु समुद्री यात्रा के लिए पशुओं की अपेक्षाओं पर खरें उतरते हैं (आहार, जल, पशुओं के बैढ़ने के लिए लकड़ी का बुरादा, जल निकासी, दवा, वातायान आदि) ।

5. जबकि सभी श्रेणियों के पशुवाहक आवश्यक रूप से न्यूनतम सुविधा अपेक्षाओं पर खरे उतरते है । जलयान भारत के समुद्र त्तर पर निर्यात, आयात या वहां से लाए ले जाए जाने के उददेश्य से पशुओं के परिवहन के लिए सुरक्षापद एवं अनुकूलता पूर्ण है ।

6. जबकि प्रशासन के लिए अति महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुओं की दशा ठीक रहने के साथ साथ समुद्र में जलयान सुरक्षित रहें ।

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

7. जबकि 7 जुलाई, 2017 को अंगीकृत अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के संकल्प एमईपीसी 295 (71) के परिच्छेद 2.12.1 में इस बात पर बता दिया गया है कि कार्गो के तौर पर लादे गए पशुओं का प्रबंधन, थलचर पशु संहिता 2010 के संबंध में विश्व संगठन द्वारा निरूपित समुद्री रास्ते से पशुओं के परिवहन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त नामक पशुओं के परिवहन हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्गो के रूप में लदाई के लिए लाए गए पशुओं का प्रबंधन होना चाहिए ।

8. जबकि उक्त संहिता के अध्याय 7.2 में विशिष्ट रूप से समुद्र मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले पशुओं के अलावा अन्य बातों के साथ साथ जलयान तथा कंटेनर डिज़ाइन एवं अनुरक्षण के बारे में बताया गया है ।

9. इसलिए अब इस आदेश के अनुलग्नक 1 अनुसार मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन उन सभी जलयानों द्वारा किया जाए जो की पाल जलयानों सहित पशुओं के परिवहन में लगें हैं ।

10. पूर्वान्त उपाय पशुओं की सुरक्षाप्रद, निरापद, पर्यावरणीय रूप से उचित और निर्बाध ढुलाई एवं जनहित को सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किए गए ।

11. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

12/9/19

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक
एवं अपर सचिव, भारत सरकार